[2009] 1 एस.सी.आर. 1076

प्रतिनिधि तहसीलदार-सह-बिक्री अधिकारी द्वारा राज्य

बनाम

एम. जानकीरमन एवं एक अन्य

(2002 की दांडिक अपील सं. 557-558)

9 फरवरी, 2009

[डॉ. अरिजीत पसायत और अशोक कुमार गांगुली, न्यायमूर्तिगण]

पाण्डिचेरी आबकारी अधिनियम, 1970 – धाराएँ 31, 33 तथा 37(क) – विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि – पुनरीक्षण में दोषमुक्ति – अपील पर अभिनिर्धारितः चूँकि दोषमुक्ति का आदेश कारणरहित था, इसलिए मामला उच्च न्यायालय को पुनः विचारार्थ प्रेषित किया गया।

उतरदाता-अभियुक्तों को पाण्डिचेरी आबकारी अधिनियम, 1970 की धाराओं 31, 33 तथा 37(क) के अधीन विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया था। पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया। अतः यह वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई।

अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तथा मामले को उच्च न्यायालय को पुनः प्रेषित करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित : उच्च न्यायालय के निर्णय में न तो साक्षियों के साक्ष्य का कोई उल्लेख किया गया है और न ही विचारण न्यायालय तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षों का। जब दो न्यायालयों ने अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी पाया था, तब उच्च न्यायालय ने यह तक इंगित नहीं किया कि विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष किस प्रकार निराधार थे अथवा किस प्रकार अस्थिर थे। पुनरीक्षण याचिकाओं के निस्तारण का तरीका अत्यन्त असंतोषजनक है। [कंडि 5] [1079-डी-जी]

दाण्डिक अपीलीय अधिकार-क्षेत्र : 2002 की दाण्डिक अपील संख्याएँ 557-558।

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 1998 की दाण्डिक पुनरीक्षण वाद संख्याएँ 249 तथा 278 में पारित दिनांक 14.09.2001 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध।

अपीलकर्ता की ओर से: वी. कनकराज, वी.जी. प्रगासम, एस.जे. अरिस्टोटल, प्रभु रामा सुब्रमणियन तथा एस. धनंजयन

उतरदाताओं की ओर से: पी. राधा रानी तथा पी. विजय कुमार (सी.एस.एन. मोहन राव के लिए)

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया

डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायमूर्ति 1. इन अपीलों में चुनौती मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निर्णय को दी गई है। उतरदाता मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पाण्डिचेरी के अभिलेख पर लंबित 1991 के कैलेंडर वाद संख्या 195 में अभियुक्त थे। उन दोनों को पाण्डिचेरी आबकारी अधिनियम, 1970 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धाराओं 31, 33, 37(क) तथा 38(1) के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया था और उनमें से प्रत्येक को प्रत्येक आरोप के लिए छह माह के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया था तथा यह आदेश दिया गया था कि सभी दण्ड साथ-साथ चलेंगे। साथ ही 10,000/- रुपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया था तथा अर्थदण्ड का भुगतान न करने की दशा में दण्डादेश का भी प्रावधान किया गया था। अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अपीलें दायर की गईं और पाण्डिचेरी के विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने धाराओं 31, 33 तथा 37(क) के अधीन दण्डनीय अपराधों के संबंध में दोषसिद्धि की पुष्टि कर दी। तथापि, दण्डादेश में संशोधन किया गया। इसके पश्चात् अभियुक्त व्यक्तियों ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दाण्डिक पुनरीक्षण याचिकाएँ दायर कीं।

2. संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य निम्नलिखित हैं :-

दिनांक 28.04.1990 को प्रातः 7:30 बजे तहसीलदार (आबकारी) विश्वनाथन (अभियोजन साक्षी-5) अपने अधिकारियों तथा पुलिस दल के साथ नियमित छापामारी पर गए थे। उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति अरंगनूर में अवैध रूप से भारतीय निर्मित विदेशी मदिरा का निर्माण कर रहे हैं। वे अरंगनूर पहुँचे और जब वे अभियुक्त संख्या-1 जनकीरमन के अधूरे मकान के निकट पहुँचे, तब उन्होंने उस मकान से अरक की गंध आती हुई महसूस की। उन्हें देखकर वहाँ खड़ा एक व्यक्ति भाग गया और उन्हें वहाँ एक महिला दिखाई दी। पूछताछ करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि वह वसंथा उर्फ कुमारी थी, जो जनकीरमन की पुत्रवधू थी, तथा जो व्यक्ति वहाँ से भाग गया था, वह जनकीरमन का दूसरा पुत्र, अभियुक्त संख्या-2 सेट्टू था। उक्त मकान अभियुक्त संख्या-1 जनकीरमन का था। आबकारी

अधिकारी विश्वनाथन (अभियोजन साक्षी-5) ने पाया कि मकान का एक कमरा बंद था। पूछताछ करने पर वसंथा ने उन्हें बताया कि उस कमरे की चाबी अभियुक्त संख्या-2 के पास थी, जो वहाँ से भाग गया था। इसके पश्चात् ताला तोड़ा गया और वे भीतर गए। वहाँ उन्होंने 2000 बोतलें देखीं जिनमें अवैध मदिरा (निर्मित ब्रांडी) भरी हुई थी। उन्होंने अवैध ब्रांडी के निर्माण हेतु प्रयुक्त उपकरण तथा अन्य सामग्री भी बरामद की, साथ ही खाली बोतलें भी पाईं। विश्वनाथन (अभियोजन साक्षी-5) ने वसंथा तथा सहायक निरीक्षक की उपस्थिति में महाजर के माध्यम से उक्त सामग्री जब्त की। अभियोजन साक्षी-5 ने अधिनियम की धाराओं 31, 33, 37(क) तथा 38(1) के अधीन अपराध संख्या 4 वर्ष 1990 दर्ज किया तथा नमूनों को रासायनिक परीक्षण हेतु भेजा। उन्होंने साक्षियों से पूछताछ की और अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी पाया।

उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश द्वारा पुनरीक्षण याचिकाओं को स्वीकार कर लिया।

3. अपीलों के समर्थन में, अपीलकर्ता-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का निर्णय वस्तुतः कारणरहित है। उसमें न तो तथ्यात्मक परिस्थिति का उल्लेख किया गया है और न ही साक्ष्यों का। उच्च न्यायालय तथा इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का मात्र उल्लेख कर दिया गया है, बिना यह इंगित किए कि वे इस वाद के प्रयोजनार्थ किस प्रकार प्रासंगिक हैं। उतरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

4. हम पाते हैं कि दोषमुक्ति का निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित एकमात्र कारण निम्नलिखित है:-

> "पाण्डिचेरी आबकारी अधिनियम का अध्याय VIII अपराधों के अन्वेषण, जाँच तथा विचारण से संबंधित है और यह आबकारी अधिकारियों को तलाशी लेने, जब्तीकरण के लिए उत्तरदायी वस्तुओं को जब्त करने, बिना वारंट गिरफ्तारी करने, अन्वेषण करने तथा उसे पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करता है। चूँकि आबकारी अधिकारी को तलाशी लेने तथा विधि के अनुसार अन्वेषण करने और उसे पूर्ण करने का अधिकार प्राप्त है, अतः वर्तमान मामले में परिवादी द्वारा स्वयं अन्वेषण किए जाने मात्र से कार्यवाही दूषित नहीं हो जाती। याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि अभियोजन साक्षी-5 द्वारा

परिवाद दायर करने तथा अन्वेषण करने की अपनाई गई प्रक्रिया अवैधता से दूषित है, स्वीकार नहीं किया जा सकता।"

5. साक्षियों के साक्ष्य तथा विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्षों का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया गया है। जब दो न्यायालयों ने अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी पाया था, तब उच्च न्यायालय ने यह तक इंगित नहीं किया कि विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष किस प्रकार निराधार थे अथवा किस प्रकार अस्थिर थे। पुनरीक्षण याचिकाओं के निस्तारण का तरीका अत्यन्त असंतोषजनक है। उपर्युक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय को अपास्त करते हैं तथा मामले को नए सिरे से विचार एवं निस्तारण हेतु उच्च न्यायालय को प्रत्यावर्तित करते हैं, ताकि वह कारणयुक्त आदेश पारित कर सके। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुनरीक्षण याचिकाओं का पुनः निर्णय करते समय उच्च न्यायालय को तथ्यात्मक परिस्थिति तथा साक्ष्यों का विश्लेषण करना होगा।

6. उपर्युक्त सीमा तक अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की गयी।

के. के. टी.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।